

कार्यालय :- नगर परिषद्, लखीसराय

पत्रांक ...1985... दिनांक ...12.../...07.../2019

प्रेषक :-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, लखीसराय।

सेवा में,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शा० स्था० नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-I
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना।

विषय :-

नगर परिषद्, लखीसराय के वर्ष 2013-14 के लेखाओं पर आधारित
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० - 533/2014-15 का निराकरण प्रतिवेदन।

प्रसंग :-

सं०-एल०ए०/एस०एस०-1/शा०स्था०नि०/14474/2196, दिनांक - 30.01.15।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर पूर्वक कहना है कि आंकेक्षण प्रतिवेदन
सं० - 533/2014-15 निरीक्षण वर्ष 2013-14 में अनापत्ति का निवारण किया गया है
जिसका सप्रमाण संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि आपत्तियों को स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासिभाजन

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, लखीसराय

ज्ञापांक.....1285..... / दिनांक12.07.2019.....

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार-पटना को सादर
सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद्, लखीसराय



॥ कार्यालय नगर परिषद्, लखीसराय ॥


आंकेक्षण प्रतिवेदन 533 / 2014-15

वर्ष 2014-15

कंडिका 01 :-	प्रस्तावना	सूचनात्मक
कंडिका 02 :-	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं है।
कंडिका 03 :-	प्रशासन	सूचनात्मक
कंडिका 04 :-	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों सभी लंबित कंडिकाओं का अनुपालन	अनुदेश का अनुपालन किया गया।
कंडिका 05 :-	कार्यपालक से वार्तालाप	अनुपालन की आवश्यकता नहीं।
कंडिका 06 :-	लेखा परीक्षा के परिमाण	कार्रवाई की जा रही है
कंडिका 07 (क) :-	वित्तीय अधिदृश्य	अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
कंडिका 07 (ख) :-	सरकारी अनुदान	अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जायेगा।
भाग II खण्ड (क)		
कंडिका 01 :-	तेरहवीं वित्त आयोग का दिशा निर्देश के विरुद्ध व्यय किया जाना 16.52 लाख	बोर्ड के निर्णय के आलोक में राशि खर्च की गई है। दिशा निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है।
कंडिका 02 :-	अधिक भुगतान	इस कंडिका का अनुपालन अगले आंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
कंडिका 03 :-	विलंब शुल्क की वसूली नहीं किया जाना।	भूमि पर जल जमाव था। कार्य में विलम्ब होना स्वभाविक है। इस आलोक में आपत्ति को संचित किया जा सकता है। वर्तमान में ससमय कार्य पूर्ण करने पर ध्यान दिया जाता है।
कंडिका 04 :-	योजना कार्यान्वयन पर अधिक व्यय।	इसका अनुपालन सख्ती से किया जा रहा है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
कंडिका 05 (क) :-	पी0सी0सी0 रोड।	स्थल विवादस्पद होने के कारण बिलम्ब हुआ है। आपत्ति को संचित किया जा सकता है। साक्ष्य संलग्न है।
कंडिका 05 (ख) :-	फोटो ग्राफी।	अनुपालन किया जा रहा है।
कंडिका 06 (क) :-	मकान कर में कम जमा की राशि।	राशि नगर निधि में जमा की गई है। साक्ष्य संलग्न है।
कंडिका 06 (ख) :-	स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा नहीं होने पर राशि की क्षति।	जानकारी के अभाव में विज्ञापन में एकरारनामा की राशि जमा करने का क्लाउज प्रकाशित नहीं किया गया था। वर्तमान में सुधार कर लिया गया है।

कंडिका 07 :-	बकाया दूकान किराया 2.47 लाख तथा विलम्ब शूल्क की वसूली नहीं किया गया।	मामला उच्च न्यायालय में लंबित है। नियमोपरांत इस पर अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। C.W.J.C 14816/2016 मुकुल कुमार बनाम् अन्य।
कंडिका 08 :-	दैनिक मजदूरों पर व्यय	वोर्ड के निर्णय के आलोक में दैनिक मजदूरों को सफाई कार्य हेतु M/R पर रखा जाता है सफाई आवश्यक सेवा है।
कंडिका 09 :-	वकाया भवन कर की वसूली	सरकारी भवन कर की वसूली हेतु नियमित समय पर मांग पत्र भेजा जाता है तथा वसूली की जाती है।
कंडिका 10 :-	मोबाईल टावर से बकाया शूल्क	पंजीकरण शुल्क के साथ नवीकरण शुल्क की वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया गया है। वसूली हो रही है।
कंडिका 11 :-	कम्बल का क्रय	कम्बल को VAT के दायरे में नहीं रखा गया है। इसलिए वसूली नहीं की जा सकी है। लाभूकों की सूची रखी गई है। अगले अंकेक्षण में सूची उपलब्ध करा दी जायेगी।
कंडिका 12 :-	VAT की कटौती	सामग्री क्रय VAT Paid विपत्र प्रस्तुत किया गया है। राशि भुगतान के पश्चात फर्म द्वारा Form CIII दिया जाता है। अगले आंकेक्षण में दिखा दिया जायेगा। जानकारी के अभाव में Form CIII प्राप्त नहीं किया गया। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
कंडिका 13 :-	VAT की राशि	वैट की राशि प्रत्येक माह के अंत में जमा किया जाता है। आंकेक्षण को दिखा दिया जायेगा। साक्ष्य संलग्न है।
कंडिका 14 :-	अग्रिम	आदेश निदेश का अनुपालन किया जा रहा है। नाजिर को अग्रिम पंजी संधारण करने हेतु आदेश दिया गया है।
कंडिका 15 :-	फोमिंग मशीन का क्रय	आपत्तियों को दुर कर लिया गया है। अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।
कंडिका 16 :-	शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपस्कर प्रेषित नहीं।	नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति दयनीय है। वित्तीय स्थिति के सुदृढ़ होने पर राशि वापस की जायेगी।

अन्य निदेश का अनुपालन तथा अनुशरण किया जा रहा है।


 नगर कार्यपालक/प्रतिनिधिकारी
 नगर परिषद्, लखीसराय
 12.07.19